# कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

## जोन–05 सेक्टर 06

क्र./ लो.क.वि/जोन–5/2026/ 1832

भिलाई, दिनांक04/11/2026

### निविदा सूचना

आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत् सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से लोक निर्माण विभाग के भवन एस.ओ.आर. दिनांक–10.06.2026 एवं इलेक्ट्रिकल एस.ओ.आर 2026 से लागू तथा नान एसओआर पर एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक पर निम्नलिखित कार्य हेतु मुहरबंद निविदा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। कार्य हेतु निविदा की तिथियां निम्नानुसार है :–

1. निविदा जारी करने की तिथि– 04.11.2026
2. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि– 26.11.2026 सांय 5.30 बजे तक
3. निविदा खोले जाने की तिथी–27.11.2026

| क्र | कार्य का नाम | निविदा लागत) (लाख में) | धरोहर राशि | निविदा प्रपत्र का मूल्य | समयावधि | फार्म |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जोन क्र 05 अंतर्गत शासकीय स्कूलों का संधारण कार्य। (शिक्षा उपकर मद) | 8.95 | 7000.00 | 750.00 | 30 दिन | ए फार्म |

नियम एवं शर्तें :–(1) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। (2) निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेगें (3) धरोहर राशि एफ.डी.आर. के रूप में जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियता, नगर पालिक निगम मिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी, जमा करना होगा तथा निविदा प्रपत्र शुल्क के रूप में निर्धारित शुल्क की राशि डी.डी. के माध्यम से आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई के नाम से जमा कराना होगा। प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी ई–पंजीयन, जीएसटी प्रमाणपत्र, पेनकार्ड/आयकर प्रमाण पत्र, जीवित साल्वेंसी समस्त प्रमाण पत्र की स्व हस्ताक्षरित प्रति एवं नोटरी से जारी (100/–रू0) का शपथ पत्र की मूलप्रति, लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना है एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। (4) कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी (5) सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। (6) नगर निगम के वाहनो से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1% की राशि की कटौती की जावेगी किन्तु निगम वाहन उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्त्रोतो से स्वयं के वाहन से पानी लेने पर 0.5% राशि की कटौती की जावेगी। (7) सफल निविदकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि के समतुल्य परफारमेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर., पोस्टआफिस टाईम डिपाजिट, एन.एस.सी. जो कि जोन आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई एवं एजेंसी के नाम से देय होगा, मांग की तिथि से 15 दिनों की समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा, समयावधि में जमा न कराने की दशा में निविदा स्वयमेव निरस्त हो जावेगी एवं जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। (8) शासन के निर्देशानुसार श्रमिको से संबंधित कार्यो हेतु श्रमिको का नियमानुसार पी.एफ.कटौती किया जाना, तथा बैंको में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खातो में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा कराया जाना है। (9) प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। (10) यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा। (11) किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। (12) निविदा से वंचित किये गये ठेकेदारो/एजेंसियों की निविदा स्वीकार नही की जावेगी। (13) कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कार्य स्थल/कार्य का तथा कार्य के पश्चात् कार्य का फोटोग्राफस देयक से साथ प्रस्तुत करने की जवाबदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। (14) कार्य के संबंध में विस्तृत नियम शर्तो की जानकारी कार्यालयीन अवधि में नगर पालिक निगम भिलाई की वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in and tender-uad@cg.gov.in से भी देखी जा सकती है।

जोन आयुक्त
जोन क्र0–5
नगर पालिक निगम, भिलाई

Scanned with CamScanner